महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगांसिविबी/प्रबन्ध बोर्ड-30/2018/ दिनांक

प्रबन्ध बोर्ड की 30 वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 30वीं बैठक दिनांक 30-01-2018 को प्रात: 11:30 बजे महर्षि वशिष्ठ भवन सभागार में आयोजित हुई

जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	डॉ. विजय कुमार पंचोली माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
3	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
4	डॉ. बेना भनोत कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष एवं नामित, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज.सरकार	सदस्य
5	डॉ. अनिल कुमार छंगाणी कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
6	डॉ. एस.एन. शर्मा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	सदस्य
7	श्री मनोज कुमार शर्मा, आई.ए.एस. कुलसचिव,महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	सदस्य सचिव

(सुश्री सिद्धि कुमारी- माननीया विधायक बीकानेर पूर्व, डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी- माननीय विधायक बीकानेर पश्चिम, अतिरिक्त मुख्य सचिव-वित्त, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, प्रो. सोमेश कुमार शुक्ला, प्रो. राजीव सक्सेना, डॉ. सुशील कुमार बिस्सू सरकारी/निजी कारणों से बैठक में भाग नहीं ले सके।

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों का स्वागत किया। कुलपति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया :-

- ❖ विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 28-11-2017 को तृतीय दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम बार 02 कुलाधिपति पदक, 02 कुलपति पदक प्रदान किये गए। 89 स्वर्ण पदक, 148 पीएच.डी. उपाधि, 171440 उपाधि प्रदान की गई। दीक्षित होने वाले छात्रों को प्रथम बार दीक्षा मंत्र दिया गया।

- परिसर में स्थापित कराये गए ''स्वामी विवेकानन्द स्मारक'' का लोकार्पण दिनांक 08-12-2017 को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के कर-कमलों से राजभवन में किया गया।
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा इस विश्वविद्यालय को प्रथम बार अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय साईकिल रोड् रेस प्रतियोगिता का आयोजन करने का उत्तरदायित्व दिया गया। प्रतियोगिता दिनांक 10 दिसम्बर से 13 दिसम्बर 2017 तक आयोजित हुई। उक्त प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय ने एक स्वर्ण एवं एक रजत पदक प्राप्त कर अखिल भारतीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
- ''विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की ओर'' अभिनव अभियान प्रारम्भ कर महाविद्यालयों के प्राचार्यों की जिलेवार बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं का समाधान एवं संभावनाओं का आंकलन किया गया।
- सेन्टर फॉर वूमन स्टडीज द्वारा दिनांक 03-11-2017 को ''स्त्री विमर्श विभिन्न आयाम विषय'' एवं 24-25 जनवरी, 2018 को ''नारी तू नारायणी'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।
- जी.एस.टी. पर राष्ट्रीय स्तर का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया।
- 28 जनवरी, 2018 को कनिष्ठ लिपिक पद हेतु 7699 अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की लिखित परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

तत्पश्चात कुलपति महोदय द्वारा माननीय सदस्यों से अपेक्षा की गई कि वे नियम, परिनियम, विनियम एवं आर्डिनेंस के अनुसार सकारात्मक सहयोग प्रदान कर बैठक में निर्णय लें।

इसके पश्चात् कार्यसूची पर सदस्य सचिव द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
366	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 09-08-2017 को आयोजित 29वीं बैठक का कार्यवृत पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय	पुष्टि की गई।	
367	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 09-08-2017 को आयोजित 28वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	
368	विश्वविद्यालय, अधिनियम 2003 की धारा 43 के अनुसार कुलपति महोदय निर्देश में तैयार वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	
369	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम 2003 की धारा 48 के अनुसार इस विश्वविद्यालय में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम 1998 के नियम 30 (2) के तहत अनुसूची-4 में अनुभाग अधिकारी, स्टेनोग्राफर ग्रेड प्रथम एवं द्वितीय, वरिष्ठ सहायक/लेखाकार, सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वरिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ लिपिक कम टाईपिस्ट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन	संधापन

	चालक एवं इसके अतिरिक्त जहां आवश्यक हो की भर्ती हेतु गठित चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के गठन में सदस्य सचिव के रूप में उप कुलसचिव(संस्थापन/प्रशासन) को उप कुलसचिव(संस्थापन/प्रशासन) /सहायक कुलसचिव(संस्थापन/प्रशासन) करने का प्रस्ताव प्रबंध बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 48 के प्रावधानुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम 1998 के नियम 30 (2) के तहत अनुसूची-4 को उपांतरित करते सदस्य सचिव के रूप में अतिरिक्त कुलसचिव (संस्थापन)/ उप कुलसचिव (संस्थापन)/ सहायक कुलसचिव (संस्थापन) प्रतिस्थापित किया गया।	
370	विश्वविद्यालय विज्ञापन संख्या 01/2017, 02/2017 एवं 03/2017 के द्वारा विज्ञापित पदों यथा- अतिरिक्त कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, जन सम्पर्क अधिकारी, स्टेनो ग्रेड-II, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/सूचना सहायक, इलेक्ट्रीशियन, कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, वाहन चालक, प्लम्बर, बुक/रिकार्ड लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक एवं लैब ब्वॉय की चयन प्रक्रिया का राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग एवं केन्द्र सरकार के विभाग, सीआरपीएफ में निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर आवश्यक संशोधनों सहित चयन प्रक्रिया का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त प्रस्ताव के परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 15028 दिनांक 04-01-2018 द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति की अनुशंसा प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।	संस्थापन
निर्णय	समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा परिशिष्ट-1 को अनुमोदित किया गया।	
371 (1) (क)	1. (क) प्रतिवेदित है कि राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक एफ. 1(38)आरबी/2015/6462 दिनांक 21 अगस्त, 2017 के द्वारा विश्वविद्यालयों में मानदेय एवं पारिश्रमिक की दरे निर्धारित की गई। समान पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया समान परीक्षा शुल्क इस विश्वविद्यालय में लागू करने पर छात्र-संगठनों द्वारा परीक्षा शुल्क में वृद्धि को लेकर धरना/विरोध प्रदर्शन किये गए। कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06-12-2017 को आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्रसंघ पदाधिकारियों एवं छात्र-संगठनों द्वारा एक मत से समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2016-17 के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में 100रू. वृद्धि करने की सहमति व्यक्त की। उक्तानुसार सत्र 2017-18 का परीक्षा शुल्क निर्धारित कर विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 2887 दिनांक 06-12-2017 के द्वारा राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया गया। परीक्षा 2018 हेतु	शैक्षणिक परीक्षा

	367268 परीक्षा फार्म भरे जा चुके है। अतः परीक्षा 2018 हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	पुष्टि की गई।	
371 (1) (ख)	राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक एफ.1(38)आरबी/2015/6462 दिनांक 21 अगस्त, 2017 के द्वारा परीक्षा के अन्य कार्यों (Proposed fee schedule for Exam related work by Universities), पेपर सेटर, प्रायोगिक परीक्षा, परीक्षा में वीक्षक, केन्द्राधीक्षक आदि के मानदेय का निर्धारण किया गया है जो प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	पुष्टि की गई।	
371 (1) (ग)	राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक एफ.1(38)आरबी/2015/6462 दिनांक 21 अगस्त, 2017 के द्वारा परीक्षात्मक कार्यों हेतु विश्वविद्यालय कार्मिकों हेतु भी पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण किया गया है। उक्त आदेश राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की कार्यप्रणाली के आधार पर निर्धारित किया गया है, इस विश्वविद्यालय में कार्मिकों की संख्या, उपलब्ध संसाधन एवं कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट बैठक के दौरान प्रस्तुत कर दी जाएगी।	
निर्णय	समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए। आगामी आदेशों तक इस विषय में प्रबन्ध बोर्ड का पूर्व निर्णय प्रभावी रहेगा।	
371 (2)	प्रतिवेदित है कि वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफडी/ रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं परिपत्र दिनांक 09.12.2017 (द्वितीय संशोधन) के अनुसार राजस्थान सिविल सर्विसेज (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त आदेश क्रमांक प.03(72)मगंसिविबी/संस्था/2017/12409 दिनांक 18-11-2017 के द्वारा विश्वविद्यालय में लागू किया गया। प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
371(3)	प्रतिवेदित है कि नियमित/प्रतिनियुक्त कार्मिकों हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.6(1)FD(Rules)/2008 एवं F.12(3)FD(Rules) /2013 दिनांक 04-10-2017 द्वारा जारी महंगाई भत्ते में अभिवृद्धि को माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त लागू किया गया। प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
371(4)	प्रतिवेदित है कि छात्रसंघ चुनाव-2017 से "NOTA' (None of the above) को माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त लागू किया गया। प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	अधिष्ठाता-छात्र कल्याण

निर्णय	पुष्टि की गई।	
371(5)	प्रतिवेदित है कि अंजनी शिक्षण संस्थान, नोहर द्वारा प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, नोहर को स्नातक स्तर कला एवं विज्ञान संकाय में अस्थाई नवीन सम्बद्धता हेतु निर्धारित समयावधि के पश्चात आवेदन करने पर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमानुसार प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्धारित शुल्क के छःगुणा शुल्क जमा करवाया गया। प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय	पुष्टि की गई।	
371(6)	(6) प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय विभागों में सत्र 2017-18 से संचालित किये जा रहे नवीन पाठ्यक्रमों के परीक्षा शुल्क का कुलपति महोदय की स्वीकृति से निर्धारण किया गया जिसका आदेश क्रमांक 14234 दिनांक 20-12-2017 जारी किया गया। उक्त आदेश प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय	पुष्टि की गई।	
372	स्वामी केशवानन्द शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, सरदारशहर द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिरिक्त धनराशि की मांग करने एवं मांग अनुसार राशि नहीं देने पर प्रायोगिक परीक्षा में दुर्भावनापूर्ण रूप से कम अंक प्रदान करने की शिकायत पर गठित जांच समिति ने जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर महाविद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	परीक्षा शैक्षणिक
निर्णय	महाविद्यालय के उक्त कृत्य को प्रबन्ध बोर्ड द्वारा गंभीरता से लेते हुए उक्त महाविद्यालय पर राशि रू. 5.00 लाख की शास्ति आरोपित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों को छात्र-छात्राओं के साथ दुर्भावना एवं पक्षपात पूर्ण व्यवहार न करने एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय भी लिया गया।	
357	प्रबन्ध बोर्ड की 29वीं बैठक दिनांक 09-08-2017 के निर्णय संख्या 357 में जोखिम निधि का गठन कर प्रक्रिया आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। विश्वविद्यालय स्तर पर समिति का गठन कर प्रक्रिया निर्धारण का प्रारूप तैयार करवाया गया है जो प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	लेखा
निर्णय	विश्वविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षक, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के असमायिक दुर्घटना (मृत्यु/गंभीर बीमारी/अपंगता) की स्थिति में समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा में क्र.स. 5 (अ) 3 में पाँव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुली की क्षति) पर रू. 4 हजार के स्थान पर 8 हजार, क्र.स. 5 (अ) 4 में पाँव के अंगूठे के	

	अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति होने पर 2 हजार के स्थान पर 5 हजार करने के प्रेक्षण के साथ जोखिम निधि की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया।	

टेबल एजेण्डा

मद संख्या	विवरण	अनुभाग
373 (i)	प्रतिवेदित है कि माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का नामकरण "सप्त ऋषियों" के नाम से किये गए है। भविष्य में भी शेष भवनों एवं नवीन भवनों का नामकरण ऋषियों के नाम से किये जाने तथा विश्वविद्यालय के आन्तरिक रोड् (मार्गों) का नाम पवित्र नदियों के नाम पर नामकरण किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	सामान्य प्रशासन
निर्णय	पुष्टि करते हुए अनुमोदन किया गया।	
373 (ii)	प्रतिवेदित है कि प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 502 दिनांक 14-12-2017 के द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित विधि पाठ्यक्रम का नाम "विधि विद्यालय (School of Law) एवं प्रभारी विधि पाठ्यक्रम का नाम " निदेशक, विधि विद्यालय" (Director, School of Law) किया गया। आदेश प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	विधि पाठ्यक्रम
निर्णय	इस प्रेक्षण के साथ पुष्टि की गई कि आदेश में विधि विद्यालय के स्थान पर "स्कूल ऑफ लॉ" एवं निदेशक, विधि विद्यालय के स्थान पर डायरेक्टर, स्कूल ऑफ लॉ अंकित किया जाए।	
373 (iii)	मुख्य परीक्षा-2017, पूरक परीक्षा तथा पुनर्मूल्यांकन के समस्त परीक्षाओं के परिणाम जारी किये जा चुके है। उत्तरपुस्तिका जाँच का कार्य काल्पनिक रोल नं. देकर कम्प्यूटर फर्म के माध्यम से सम्पन्न करवाया गया था। परीक्षा परिणाम जारी करते समय विभिन्न कक्षाओं के कुछ परीक्षार्थियों के अवार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण RL/Absent करके परिणाम जारी किये गये थे, ताकि सम्पूर्ण परिणाम प्रभावित न हों। ऐसे परीक्षार्थियों ने महाविद्यालयों से परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण लेकर विश्वविद्यालय को प्रेषित किया। अधिकतम विद्यार्थियों के फ्लैप/अवार्ड फर्म से प्राप्त होने के कारण परिणाम जारी कर दिये गये थे। इसके उपरान्त भी 68 अनुपस्थित व 05 आर.एल. परीक्षार्थियों के फ्लैप उपलब्ध नहीं हो पाये। बार-बार प्रयास करने पर भी इनके फ्लैप/अवार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण विगत वर्षों की भांति इनके परिणाम विश्वविद्यालय अध्यादेश O.169 G (1) के अन्तर्गत अन्य प्रश्न-पत्रों के प्राप्तांकों के औसत आधार पर RL/Absent प्रश्न-पत्र में अंक देकर परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है ताकि परीक्षार्थी का आगामी अध्ययन प्रभावित न हो। विश्वविद्यालय अध्यादेश O.169 G (1) के प्रावधानानुसार प्रबन्ध बोर्ड	परीक्षा

	अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति होने पर 2 हजार के स्थान पर 5 हजार करने के प्रेक्षण के साथ जोखिम निधि की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया।	

टेबल एजेण्डा

मद संख्या	विवरण	अनुभाग
373 (i)	प्रतिवेदित है कि माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का नामकरण ''सप्त ऋषियों'' के नाम से किये गए है। भविष्य में भी शेष भवनों एवं नवीन भवनों का नामकरण ऋषियों के नाम से किये जाने तथा विश्वविद्यालय के आन्तरिक रोड (मार्गों) का नाम पवित्र नदियों के नाम पर नामकरण किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	सामान्य प्रशासन
निर्णय	पुष्टि करते हुए अनुमोदन किया गया।	
373 (ii)	प्रतिवेदित है कि प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 502 दिनांक 14-12-2017 के द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित विधि पाठ्यक्रम का नाम ''विधि विद्यालय (School of Law) एवं प्रभारी विधि पाठ्यक्रम का नाम '' निदेशक, विधि विद्यालय'' (Director, School of Law) किया गया। आदेश प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	विधि पाठ्यक्रम
निर्णय	इस प्रेक्षण के साथ पुष्टि की गई कि आदेश में विधि विद्यालय के स्थान पर ''स्कूल ऑफ लॉ'' एवं निदेशक, विधि विद्यालय के स्थान पर डायरेक्टर, स्कूल ऑफ लॉ अंकित किया जाए।	
373 (iii)	मुख्य परीक्षा-2017, पूरक परीक्षा तथा पुनर्मूल्यांकन के समस्त परीक्षाओं के परिणाम जारी किये जा चुके है। उत्तरपुस्तिका जाँच का कार्य काल्पनिक रोल नं. देकर कम्प्यूटर फर्म के माध्यम से सम्पन्न करवाया गया था। परीक्षा परिणाम जारी करते समय विभिन्न कक्षाओं के कुछ परीक्षार्थियों के अवार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण RL/Absent करके परिणाम जारी किये गये थे, ताकि सम्पूर्ण परिणाम प्रभावित न हों। ऐसे परीक्षार्थियों ने महाविद्यालयों से परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण लेकर विश्वविद्यालय को प्रेषित किया। अधिकतम विद्यार्थियों के फ्लैप/अवार्ड फर्म से प्राप्त होने के कारण परिणाम जारी कर दिये गये थे। इसके उपरान्त भी 68 अनुपस्थित व 05 आर.एल. परीक्षार्थियों के फ्लैप उपलब्ध नहीं हो पाये। बार-बार प्रयास करने पर भी इनके फ्लैप/अवार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण विगत वर्षों की भांति इनके परिणाम विश्वविद्यालय अध्यादेश O.169 G (1) के अन्तर्गत अन्य प्रश्न-पत्रों के प्राप्तांकों के औसत आधार पर RL/Absent प्रश्न-पत्र में अंक देकर परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है ताकि परीक्षार्थी का आगामी अध्ययन प्रभावित न हो। विश्वविद्यालय अध्यादेश O.169 G (1) के प्रावधानानुसार प्रबन्ध बोर्ड	परीक्षा

	के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	अनुमोदन किया गया। आगामी वर्षों में ऐसी पुनर्रावृति न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखने हेतु परीक्षा विभाग/फर्म को निर्देशित किया जाए।	
373 (iv)	विश्वविद्यालय में वर्ष 2011 में 6000/- रू. एवं इससे अधिक स्थिर पारिश्रमिक पर कार्यरत 06 सेवानिवृत कार्मिकों के स्थिर पारिश्रमिक कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के संशोधन दिनांक 08-07-2011 के अनुसार अभिवृद्धि नही की गई थी। जबकि तत्समय 4800/- स्थिर पारिश्रमिक पर कार्यरत सेवानिवृत कार्मिकों की संदर्भित परिपत्र के क्रम में अभिवृद्धि करते हुए 6000/- स्थिर पारिश्रमिक निर्धारित किया गया। ऐसे 06 कार्मिकों द्वारा समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संदर्भित परिपत्र के अनुसार स्थिर पारिश्रमिक में अभिवृद्धि की मांग की जा रही है। प्रकरण को प्रबन्ध बोर्ड की 25 वीं बैठक दिनांक 22-07-2015 में प्रस्तुत करने पर स्थिर पारिश्रमिक पर अभिवृद्धि नही करने का निर्णय लिया गया। ऐसे सेवानिवृत कार्मिकों द्वारा संदर्भित आदेश दिनांक 08-07-2011 के अनुसार स्थिर पारिश्रमिक अभिवृद्धि करने के सम्बन्ध में प्रार्थी के नियुक्ति पत्र में अंकित कार्मिक विभाग के स्थिर पारिश्रमिक के सम्बन्ध में तत्समय लागू परिपत्र दिनांक 28-08-2009 के अनुसार स्थिर पारिश्रमिक देय है एवं उक्त परिपत्र के क्रम में ही संशोधन दिनांक 08-07-2011 जारी किया गया है। अतः प्रकरण पुनः प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	संस्थापन
निर्णय	प्रकरण की समीक्षा कर नियमानुसार प्रस्ताव/अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गई :- 1. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल 2. डॉ. अनिल कुमार छंगाणी 3. सहायक कुलसचिव-संस्थापन- सदस्य सचिव 4. सहायक लेखाधिकारी-I	
373 (v)	प्रबन्ध मण्डल की 29वीं बैठक दिनांक 09-08-2017 में टेलीफोन/मोबाइल/इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करने हेतु महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रदत्त सुविधा के अनुसार ही इस विश्वविद्यालय में पुनर्भरण की दरें लागू की गई है। चूंकि इस विश्वविद्यालय के समस्त अनुभाग में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुभाग के कार्यों हेतु सम्पर्क करने के लिए स्वयं के मोबाइल का उपयोग किया जाता रहा है, जिसकी एवज में पूर्व में सहायक आचार्य जिनके पास विभागाध्यक्ष का कार्यभार है, अनुभाग अधिकारी, अधिष्ठाता-छात्र कल्याण, सहायक निदेशक-शारीरिक शिक्षा, निजी सचिव- कुलपति, वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक एवं सहायक लेखाधिकारी-प्रथम को निश्चित राशि तक मोबाईल पुनर्भरण	सामान्य प्रशासन

	की सुविधा देय थी। परन्तु उपरोक्त निर्णय से उपरोक्त कार्मिकों को देय सुविधा बंद हो गई है। अतः विश्वविद्यालय की कार्यप्रकृति को ध्यान में रखते हुए गत बैठक में टेलीफोन/मोबाइल/इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करने हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के आधार पर उक्त विभागाध्यक्षों/अधिकारियों/कार्मिकों को टेलीफोन/मोबाइल/इन्टरनेट की सुविधा देने हेतु प्रकरण पुनः प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 17239-17263 दिनांक 19-01-2018 में वंचित निम्नलिखित शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल के पुनर्भरण की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया :- 1. अधिष्ठाता-छात्र कल्याण - अधिकतम 1750/- रू. प्रतिमाह 2. सहायक निदेशक- शारीरिक शिक्षा- अधिकतम 1750/- रू. प्रतिमाह। 3. निजी सचिव-कुलपति - अधिकतम 1000/- रू. प्रतिमाह 4. वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक- अधिकतम 750/- रू. प्रतिमाह 5. सहायक लेखाधिकारी-I- अधिकतम 750/- रू. प्रतिमाह 6. अनुभाग अधिकारी - अधिकतम 600/- रू. प्रतिमाह 7. सहायक आचार्य जो विभागाध्यक्ष है - अधिकतम 1750/- रू. प्रतिमाह चर्चा उपरान्त विभागाध्यक्षों की भांति सेन्टर्स के डायरेक्टरों को भी अधिकतम राशि रू. 1750/- प्रतिमाह की दर से मोबाइल पुनर्भरण की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया ।	

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव